न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 15/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/88

अपीलाण्ट :—
मोहनलाल पुत्र श्री सदाराम जाति बंजारा भाट निवासी 77 बंजारों का बास नया गांव पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :—
1. मृतक पवन कंवर पत्नी श्री कुन्दनसिंह जाति राजपूत के कायम मुकाम :—
1/1. आनन्दसिंह पुत्र कुन्दनसिंह
1/2. विक्रमसिंह पुत्र कुन्दनसिंह
निवासी कान्दरा तहसील पाली जिला पाली (राज.)
1/3. पिण्टु कंवर पत्नी रामसिंह पुत्री कुन्दनसिंह निवासी मारवाड़ रोड़ सोजत तहसील सोजत जिला पाली (राज.)
2. तहसीलदार पाली
3. उप पंजीयन अधिकारी प्रथम पाली
4. उप पंजीयन अधिकारी द्वितीय पाली
5. पटवारी पटवार हल्का कान्दरा तहसील पाली जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नौरतन चौहान
रेस्पो. संख्या 1/1 व रेस्पो. संख्या 1/3 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह राठौड
रेस्पो. संख्या 1/2 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 04.08.2025

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम कान्दरा तहसील पाली के नामान्तरकरण संख्या 1771 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 27.11.2024 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री नौरतन चौहान व रेस्पो. संख्या 1/1 व रेस्पो. संख्या 1/3 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह राठौड़ व रेस्पो. संख्या 1/2 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित हुये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि रेस्पोडेण्ट पवन कंवर की ग्राम कान्दरा पटवार क्षेत्र कान्दरा की सरहद में खसरा संख्या 523/4 कुल रकबा 3.2375 हैक्टेयर में से 3/4 हक हिस्से यानि कुल 15 बीघा खातेदारीशुदा कृषि भूमि आई हुई स्थित है। पवन कंवर ने उक्त 15 बीघा भूमि में से 05 बीघा भूमि का दिनांक 11.10.2022 को सोहनलाल के पक्ष में पंजीबद्ध आम मुख्तियारनामा निष्पादित करवाया। उक्त आम मुख्तियारनामे दिनांक 11.10.2022 के द्वारा सोहनलाल ने उक्त 05 बीघा भूमि अपीलाण्ट

मोहनलाल को जरिये पंजीबद्ध विक्रय–विलेख दिनांक 13.10.2022 को बेचान कर दी। उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर पटवार हल्का कान्दरा ने नामान्तरकरण संख्या 1771 दिनांक 27.11.2024 खोला एवं उक्त नामान्तरकरण की जांच हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक को प्रेषित किया जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने दस्तावेजो के आधार पर सही पाया एवं तहसीलदार को स्वीकृत करने हेतु प्रेषित किया। तहसीलदार ने बिना किसी विधिक आधार एवं दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार कर जैर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1/2 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए वक्त बहस कथन किया कि जैर अपीलाधीन आदेश दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर ही स्वीकृत किया गया है क्योंकि पवन कंवर के आम मुख्तियार सोहनलाल ने ऊपर वर्णित 05 बीघा के अतिरिक्त भी आराजी का बेचान किया है। जिससे स्पष्ट है कि सोहनलाल द्वारा आम मुख्तियारनामे मे वर्णित आराजी से अधिक भूमि का बेचान किया है। अतः स्पष्ट है कि दस्तावेजो मे विविधता के कारण ही जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः जैर अपील बिना किसी विधिक आधार पर प्रस्तुत की गयी है जो सव्यय खारिज फरमावें।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम, शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह है कि रेस्पोडेण्ट पवन कंवर की ग्राम कान्दरा पटवार क्षेत्र कान्दरा की सरहद में खसरा संख्या 523/4 कुल रकबा 3.2375 हैक्टेयर में से 3/4 हक हिस्से यानि कुल 15 बीघा खातेदारीशुदा कृषि भूमि आई हुई स्थित है। पवन कंवर ने उक्त 15 बीघा भूमि में से 05 बीघा भूमि का दिनांक 11.10.2022 को सोहनलाल के पक्ष में पंजीबद्ध आम मुख्तियारनामा निष्पादित करवाया। उक्त आम मुख्तियारनामे दिनांक 11.10.2022 के द्वारा सोहनलाल ने उक्त 05 बीघा भूमि अपीलाण्ट मोहनलाल को जरिये पंजीबद्ध विक्रय–विलेख दिनांक 13.10.2022 को बेचान कर दी। उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर पटवार हल्का कान्दरा ने नामान्तरकरण संख्या 1771 दिनांक 27.11.2024 खोला एवं उक्त नामान्तरकरण की जांच हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक को प्रेषित किया जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने दस्तावेजो के आधार पर सही पाया एवं तहसीलदार को स्वीकृत करने हेतु प्रेषित किया। तहसीलदार ने बिना किसी विधिक आधार एवं दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिससे रूष्ट होकर अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील प्रस्तुत की गयी एवं रेस्पो. सं. 1/1 एवं 1/3 ने अपीलाण्ट द्वारा किये गये उक्त उज्र में अपनी सहमति प्रदान की। विपक्षी अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1/2 का मुख्य उज्र यह रहा कि पवन कंवर के आम मुख्तियार सोहनलाल ने ऊपर वर्णित 05 बीघा के अतिरिक्त भी आराजी का बेचान किया है अर्थात् सोहनलाल द्वारा आम मुख्तियारनामे मे वर्णित आराजी से अधिक भूमि का बेचान किया है।

समायतशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजात का अवलोकन एवं गहन मनन करने के बाद यह सुस्पष्ट है कि जैर नामान्तरकरण पंजीबद्ध आम मुख्तियारनामें एवं पंजीबद्ध विक्रय–विलेख के आधार पर ही खोला गया है जिससे जैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2024 प्रथम दृष्ट्या विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट होता है कि आममुख्तियारनामे दिनांक 11.10.2022 जिन विवादित सम्पति को लेकर

जिला कलेक्टर, पाली

निष्पादित हुआ है उसी आधार पर विक्रय–पत्र निष्पादित हुआ है तथा हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में भिन्नता का कोई आधार व्यक्त नहीं किया है तो तहसीलदार द्वारा सिर्फ यह लिख देना " पंजीयन दस्तावेज एवं राजस्व रिकॉर्ड में भिन्नता होने से अस्वीकृत" कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है, और वह भी बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। तहसीलदार का यह जैर अपीलाधीन आदेश मनमाना एवं स्वेच्छापूर्ण है जो बिना सुनवाई के एवं बिना पर्याप्त विधिक आधारों के पारित किया गया है। अतएव जैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2024 को हम हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर उचित नहीं समझते है। साथ ही विपक्षी अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1/2 का मुख्य कथन कि पवन कंवर के आम मुख्तियार सोहनलाल ने ऊपर वर्णित 05 बीघा के अतिरिक्त भी आराजी का बेचान किया है, को सिद्ध करने बाबत् पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है।

लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम कान्दरा तहसील पाली के नामान्तरकरण संख्या 1771 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 27.11.2024 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त हमारे द्वारा किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए सभी पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नव सरे विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.09.2025 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक **04.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली